

10



सम्पत्तः न्यायालय श्रीमान् राजस्व बोर्ड ग्वालियर, म०प्र०
राजस्व पुनरीक्षण क्र० R-3489-V/2016

पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक :- रामकृष्ण सोनकर, पिता स्व० चूरामन सोनकर,
तनिवासी- 227 भरतीपुर, जिला- जबलपुर.

वि ह द्द

- :- 1. सचिव, राजस्व विभाग,
बल्लभ भवन भोपाल ₹ म०प्र०
- 2. श्रीमान् अतिरिक्त कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी,
नगर भूमि सीमा कलेक्टर, जबलपुर ₹ म०प्र०

अनावेदकगण

दुष्यन्त कुमार सिंह- एड
दिनांक 04/10/16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

राजस्व पुनरीक्षण अंतर्गत धारा- 50 म०प्र० मू- राजस्व संहिता

पुनरीक्षण कर्ता श्रीमान् न्यायालय अपर कलेक्टर जबलपुर द्वारा प्र०क्र० 146/बी/12/2015-16 रामकृष्ण सोनकर कि ह्द सचिव राजस्व विभाग एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.07.16 से अस्तित्व होकर यह पुनरीक्षण आवेदन पर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत करता है :-

त थ्य

यह कि, पुनरीक्षणकर्ता के तथ्य इस प्रकार है कि, ग्राम छिवलहा, प०ह०म०-45 न०ब०- 225 तह० व जिला- जबलपुर स्थित भूमि सं०म०-236 रकबा- 1.522 हेक्टे० के मूल स्वामी बैजू पिता बाबूलाल से सक्षम प्राधिकारी अर्कलेड सीलिंग जबलपुर द्वारा उपरोक्त वर्णित भूमि को सीलिंग एक्ट के तहत अतिशेष घोषित करने हेतु नोटिस जारी किया गया था, मूल स्वामी बैजू द्वारा रा०प्र०क्र०- 2184/अ-90/ब-98 79-80 में जबाब प्रेषित किया और कहा कि, उक्त वर्णित भूमि का विक्रय जा चका है तथा कोई भी भूमि शेष नहीं है जिसका/कार्य भरा आवेदक किरीरीलाल द्वारा मूल स्वामी

दुष्यन्त कुमार सिंह
एडवोकेट
म.प्र. उच्च न्यायालय एवं सेवेन्स बोर्ड
ग्वालियर-3

श्रीमान् प्रभासी (रा.सं.)
कायस्थ महाविद्यालय, ग्वालियर

14
4

R 3489-I/16

दिनांक 19/03/22

म.प्र.

7-3-18

कावेडक की कोठे
 खुपना उपरान कोठे उपरि
 नली। समय समय पर नली का
 पुर्जा करवाकर रखी कोठे उपरि
 रखी। कावेडक की डबु पाकिस्तान
 के कारण प्रकण लडस के को
 में रखाज किया गया है।

3

पठक